



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 फाल्गुन 1939 (श0)

(सं0 पटना 169) पटना, बुधवार 28 फरवरी 2018

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

23 फरवरी 2018

सं0 नि०प्रा०/नि० 01-08/2017—178—चूँकि बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) में निहित प्रावधान के अनुसार बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के तहत निर्बाधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के बोर्ड, जिनका निर्वाचन देय है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा संलग्न **अनुलग्नक-1** में अंकित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के बोर्ड का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) की धारा-7 तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा **अनुलग्नक-2** में अंकित कार्यक्रम के अनुसार अनुलग्नक-1 में अंकित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के उनकी उपविधियों तथा निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार के पत्रांक-4992 दिनांक 01.11.2013 में यथा वर्णित पदों के लिए निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु **दिनांक 23.03.2018 (शुक्रवार)** की तिथि नियत करता है तथा संबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र **संख्या-37 दिनांक 10.01.2018** से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ दिनांक **31.12.2017** निर्धारित की गयी है एवं तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक **12.02.2018** को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) द्वारा बिहार अधिनियम 2, 1997 की धारा-26 में किये गए संशोधन के आलोक में बोर्ड के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- (i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।
- (ii) स्वाबलम्बी सहकारी समिति के बोर्ड में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।
- (iii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या बोर्ड के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (iv) अगर संघ में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद खाली रहेंगे।
- (v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर संघ की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद खाली रहेंगे।
- (vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को छोड़कर बोर्ड में जो शेष स्थान बच जाते हैं, उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेंगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रहेंगे।

निर्वाचन पदाधिकारी बोर्ड के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए मानक प्रपत्र-ई० 1 में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना दिनांक 26.02.2018 (सोमवार) को प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

जिन समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को प्रपत्र-ई० 6 में विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई० 18 में पूर्ण सूचनायें उन्हीं तिथियों को फ़ैक्स (0612-2231562, 2215089) अथवा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

आदेश से,
फूल सिंह,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

अनुलग्नक-1

निर्वाचन देय विभिन्न स्वाबलम्बी सहकारी समितियों की सूची

क्र०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	सहकारी समितियों का नाम
1	कटिहार	कटिहार	मोहिनी शिक्षित श्रमिक स्वाबलम्बी स० स० लि०
2	कैमूर	मोहनियाँ	सोन भैली जिला कृषि बागवानी सेवा स्वाबलम्बी स० स० लि०
3	मधुबनी	राजनगर	अर्चना जीविका महिला स्वाबलम्बी स० स० लि०
4	मधुबनी	खजौली	रौशनी जीविका महिला स्वाबलम्बी स० स० लि०
5	मधुबनी	खजौली	जयभारत जीविका महिला स्वाबलम्बी स० स० लि०
6	भागलपुर	शाहकुण्ड	चाँदनी हैण्डलूम बुनकर स्वाबलम्बी स० स० लि०, शाहकुण्ड
7	जहानाबाद	जहानाबाद	खगड़िया कृषक सेवा स्वाबलम्बी स० स० लि०
8	जहानाबाद	जहानाबाद	क्रांति महिला विकास स्वाबलम्बी स० स० लि०
9	वैशाली	हाजीपुर	संभावना महिला आर्थिक विकास स्वाबलम्बी स० स० लि०
10	सारण	सोनपुर	सारण उपभोक्ता स्वाबलम्बी स० स० लि०
11	सारण	छपरा	सारण जिला कृषक सेवा स्वाबलम्बी स० स० लि०
12	सारण	एकमा	गौसप कृषक सेवा स्वाबलम्बी स० स० लि०
13	पटना	पटना सदर	आधार महिला विकास स्वाबलम्बी स० स० लि०
14	भोजपुर	बड़हरा	आदर्श कृषक सेवा स्वाबलम्बी स० स० लि०
15	सिवान	सिवान सदर	श्री नारायण कृषक सेवा स्वाबलम्बी स० स० लि०

अनुलग्नक-2

**अनुलग्नक-1 में उल्लिखित स्वाबलम्बी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति के
निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम**

(i)	निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्र-ई० 1 में सूचना का प्रकाशन	26.02.2018 (सोमवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	13.03.2018 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	14.03.2018 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	15.03.2018 (गुरुवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	23.03.2018 (शुक्रवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	23.03.2018 (शुक्रवार)(मतदान के तुरंत पश्चात्)

फूल सिंह,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 169-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>